

डिस्क्लेमर

अंतरिम आदेश संख्या 11/2022-23 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 11/2022-23

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली- 110003

जारी करने की तारीख: 30 जून, 2022

सेवा	:	कागों हैंडलिंग सेवाएं
सेवा प्रदाता	:	एएआईसीएलएएस
हवाईअड्डा	:	मंगलूरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा
हवाईअड्डा प्रचालक	:	मंगलूरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

मैसर्स एएआई कागों लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड द्वारा मंगलूरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलूरु में प्रदान की जाने वाली अंतर्देशीय कागों हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

एएआईसीएलएएस की प्रस्तुति :

1. एएआई कागों लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) भारत में विमानन कागों कारोबार करने वाली भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एएआई ने अपने कागों विभाग को अलग करके 11 अगस्त, 2016 को इसे प्रकार्यात्मक रूप से और प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र संगठन “एएआईसीएलएएस” के रूप में निगमित कर सम्मिलित किया है। वर्तमान में एएआईसीएलएएस मंगलूरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे सहित सत्रह (17) प्रमुख हवाईअड्डों पर कागों सेवाएं प्रदान कर रही है।
2. मैसर्स एएआईसीएलएएस ने दिनांक 02.06.2022 के पत्र द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया है कि कागों सर्विस सेन्टर लिमिटेड (सीएससी) ने एएआईसीएलएएस के साथ पट्टा करार कर मंगलूरु हवाईअड्डे पर 26.06.2021 से 15.06.2020 तक अंतरदेशीय कागों टर्मिनल को प्रचालित किया था। तत्पश्चात मैसर्स एएआईसीएलएएस ने मंगलूरु हवाईअड्डे के अंतरदेशीय कागों टर्मिनल को अधिकार में ले लिया और नागर विमानन मंत्रालय (मोओसीए) द्वारा जारी दिनांक 19.05.2016 के पत्र संख्या एवी-16026/159/2015-ईआर के अनुसार एएआई के गैर-प्रमुख हवाईअड्डों के लिए लागू टैरिफ दरों से अंतरदेशीय कागों सेवाएं प्रदान करनी शुरू कर दी।

3. नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 10.01.2020 की अधिसूचना द्वारा भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के संदर्भ में मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को “प्रमुख हवाई अड्डे” के रूप में घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप मैसर्स एएआईसीएलएएस ने सूचित किया है कि मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो सेवाओं के लिए नियमित वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के लिए एमवाईटीपी तैयार किया जा रहा है और इसे शीघ्र प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

4. मैसर्स एएआईसीएलएएस ने इस बीच नागर विमानन मंत्रालय द्वारा गैर-प्रमुख हवाईअड्डों के लिए अनुमोदित वर्तमान टैरिफ के आधार पर मंगलुरु हवाईअड्डे पर अपने अंतरदेशीय कार्गो प्रचालनों के लिए अंतरिम टैरिफ की मांग की है।

प्राधिकरण का विश्लेषण :

5. प्राधिकरण नोट करता है कि एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और भारत में विमानन कार्गो कारोबार कर रही है। एएआईसीएलएएस ने मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मंगलुरु में अपने अंतरदेशीय कार्गो प्रचालन के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएस) के दिनांक 03.02.2022 के पत्र द्वारा बीसीएस से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। बीसीएस की सुरक्षा अनुमति सुरक्षा कार्यक्रम जारी करने की तारीख से पांच (05) की अवधि, अर्थात् 02.02.2027 तक, के लिए वैध है।

6. प्राधिकरण नोट करता है कि मैसर्स एएआईसीएलएएस वर्तमान में मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय कार्गो टर्मिनल का प्रचालन नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 19.05.2016 के पत्र संख्या एवी-16026/159/2015-ईआर के अनुसार गैर-प्रमुख हवाईअड्डों के लिए लागू टैरिफ दर से कर रही है।

7. प्राधिकरण को एएआईसीएलएएस के अनुरोध की जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि मंगलुरु हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय कार्गो सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने के लिए आईएसपी की ओर से बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आशा है। परंतु परामर्श पत्र और टैरिफ आदेश जारी करने सहित मंगलुरु हवाईअड्डे पर प्रस्तावित कार्गो सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने की विनियामक प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा इसलिए प्राधिकरण इस बीच मैसर्स एएआईसीएलएएस को नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 19.05.2016 के पत्र संख्या एवी 16026/159/2015-ईआर द्वारा मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार 31.03.2023 तक या कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर प्रचलित टैरिफ लगाने की अनुमति देने का निर्णय लेता है।

आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्त्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा आदेश देता है कि :

- (i) मैसर्स एएआईसीएलएएस को मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मंगलुरु में अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए 31.03.2023 तक या प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, **संलग्नक -I** के अनुसार तदर्थ आधार पर टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी जाती है।
- (ii) इसमें ऊपर अनुमोदित टैरिफ कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।
- (iii) इसमें ऊपर निर्धारित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवा में,

श्री अजय भारद्वाज, मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
एएआईसीएसएस, एएआईसीएलएस कॉम्प्लेक्स, दिल्ली फ्लाईंग क्लब रोड,

सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

प्रतिलिपि,

- 1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
- 2) अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, श्री राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
- 3) श्री नीरव शाह, मुख्य हवाईअड्डा अधिकारी, मंगलूरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, मंगलूरु

